

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट - प्रथम

जयपुर

क्रमांक : ADM-I/81शकन/31/2011/483

दिनांक : 12/12/2011


पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक : 02 / जयपुरं 2011-12

स्वयंसेवी संस्था स्वीट वॉइस वेलफेयर एवं शिक्षा समिति स्वीट वॉइस मूकबधिर विद्यालय, गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जयपुर को निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52(2) के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा से आज दिनांक 12/12/2011 को जारी किया गया।



  
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट - प्रथम  
जयपुर

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर

क्रमांक : एडीएम-1/नि.शक्त अधि/8/18/106

दिनांक : 20/11/18


अध्यक्ष,  
स्वीट वोईस वेलफेयर शिक्षा समिति,  
गोविन्दगढ,  
जिला-जयपुर।

विषय : नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 52 (2) के अन्तर्गत संस्था के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52 (2) के अन्तर्गत संस्था का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक एडीएम/नि:शक्त अधि./2011/483 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा दो वर्ष अर्थात दिनांक 12.12.2011 से 12.12.2013 तक, दिनांक 12.12.2013 से 11.12.2015 तक एवं इसी क्रम में दिनांक 11.12.2015 से 11.12.2017 तक के लिये किया गया था।

संस्था द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर संस्था को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नियमानुसार आगामी अवधि दिनांक 11.12.2017 से 11.12.2019 तक (दो वर्ष) के लिए किया जाता है।



  
(डॉ. मोहन लाल यादव)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम),  
Additional District Magistrate (I)  
जायपुर  
JAIPUR

नोट : पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अवधि समाप्ति के 60 दिवस पूर्व किया जाना चाहिए।

2/10/20